उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

Ref. No. UOU/आर/वि.परि./34/2026
Date: **21 फरवरी, 2026**

सेवा में,

1. प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त), मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।
2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
3. डॉ0 मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, **Rector**, जे0एन0यू0, डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
5. प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर एवं डीन, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।
7. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
10. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डे, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, निदेशक, पर्यटन,आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
12. प्रोफेसर प्रवेश कुमार सहगल, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
13. प्रोफेसर गगन सिंह, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
14. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
15. प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
16. प्रोफेसर डिगर सिंह फस्र्वाण, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
17. प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
18. प्रोफेसर राकेश चन्द्र रयाल, निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
19. प्रोफेसर कमल देवलाल, निदेशक, विधि विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
20. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
21. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-प्राध्यापक, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
22. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सह-प्राध्यापक, कृषि, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
23. डॉ0 सुमित प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
24. डॉ0 ममता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र, उत्तरराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
25. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
26. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक 21 फरवरी, 2026 (शनिवार) को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **विद्या परिषद** की **34वीं** बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, विद्या परिषद

प्रतिलिपि:- कुलपति जी के वैयक्तिक अधिकारी को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी–263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel. : 05946-286000 ● Toll Free No. : 1800 180 4025 ● Fax : 05946-264232 ● E-mail : info@uou.ac.in ● Website : www.uou.ac.in

दिनांक 21 फरवरी, 2026 (शनिवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1.	प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल, कार्यकारी निदेशक (सेवानिवृत्त), मुक्त शिक्षा विद्याशाखा, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, विभागाध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग एवं परिसर निदेशक, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।	सदस्य
4.	डॉ0 एच0सी0 पुरोहित, प्रोफेसर एवं डीन, प्रबन्ध अध्ययन विद्याशाखा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून। (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5.	प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पाण्डेय, **Rector,** जे0एन0यू0, डीन, संस्कृत एवं भारतीय अध्ययन विद्याशाखा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी निकट नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8. प्रोफेसर रेनू प्रकाश, सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

9. प्रोफसर जीतेन्द्र पाण्डेय, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

10. प्रोफेसर एम0एम0 जोशी, सदस्य
निदेशक, पर्यटन,आतिथ्य एवं होटल प्रबन्धन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

11. प्रोफेसर प्रवेश कुमार सहगल सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर गगन सिंह, सदस्य
निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

13. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, सदस्य
निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

14. प्रोफेसर डिगर सिंह फर्स्वाण, सदस्य
निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

15. प्रोफेसर अरविन्द भट्ट, सदस्य
निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

16. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सदस्य
सह-आचार्य, वानिकी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

17. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सदस्य
सह-आचार्य, कृषि,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

18. डॉ0 सुमित प्रसाद, सदस्य
सहायक आचार्य, प्रबन्ध अध्ययन,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

19. डॉ0 ममता कुमारी, सदस्य
सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

20. श्री खेमराज भट्ट, सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

21. श्री सूर्य प्रताप सिंह, आमंत्रित सदस्य
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, विद्या परिषद द्वारा कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद तथा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 34वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर एच0सी0 पोखरियाल , प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से बैठक में उपस्थित प्रोफेसर एच0सी0 पुरोहित एवं प्रोफेसर बृजेश कुमार पाण्डेय का बैठक में प्रतिभाग हेतु विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों का विद्या परिषद की 34वीं बैठक में स्वागत किया गया।

विद्या परिषद के बाह्य सदस्य प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 34.01- विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुमोदन।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/R/वि0परि0/33/2025, दिनांक 10.11.2025 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि कार्यवृत्त में

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

यदि कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि को अनुमोदित किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 34.02- विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया।

निर्णय:- ***विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 के निर्णयों पर हुई कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई। कृत कार्यवाही के "प्रस्ताव संख्या-33.07- विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में समन्वयक/सह-समन्वयकों के कार्य दायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार" पर परिषद द्वारा एक सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। शेष समस्त प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 34.03- विश्वविद्यालय शोध परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2026 की संस्तुतियों का अनुमोदन एवं प्रस्तावित शोध नीति से संबंधित विश्वविद्यालय शोध प्रोत्साहन योजनाओं हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, शोध द्वारा विद्या परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की **शोध परिषद** की दिनांक **06 फरवरी, 2026** को सम्पन्न **चतुर्थ** बैठक की संस्तुतियॉ प्रस्ताव के साथ संलग्न कर परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई हैं। शोध परिषद की उक्त बैठक के **प्रस्ताव संख्या 2- "प्रस्तावित शोध उपाधि अध्यादेश-2026 पर विचार"** एवं **प्रस्ताव संख्या 4- "प्रस्तावित शोध नीति से संबंधित विश्वविद्यालय शोध प्रोत्साहन योजनाओं हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) पर विचार"** के अन्तर्गत निम्नानुसार विभिन्न नीतियों/योजनाओं की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रस्तुत की गई है, जो विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1.	पॉलिसी ऑन एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म	संलग्नक- 03
2.	लघु अनुसंधान अनुदान योजना/इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट स्कीम	संलग्नक- 04
3.	उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना	संलग्नक-05
4.	फेलोशिप अवार्ड पॉलिसी	संलग्नक-06
5.	एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट स्कीम	संलग्नक-07

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

6.	इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी पॉलिसी	संलग्नक-08
7.	कंसल्टेंसी पॉलिसी	संलग्नक-09

उक्त के अतिरिक्त पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया हेतु रिक्त 41 सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश से संबंधित विवरणिका भी विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया हेतु 41 के स्थान पर कुल 92 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया। रिक्त सीटों को सम्मिलित करते हुए कुल सीटों का आंगणन कर कुल रिक्त सीटों पर रोस्टर प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण कर विज्ञापन जारी करने एवं सीटें घट-बढ सकती हैं इसका स्पष्ट अंकन विज्ञापन में आवश्यक रूप से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न नीतियों/योजनाओं की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अन्तर्गत क्रमांक-7 पर अंकित कंसल्टेंसी पॉलिसी में Sharing of fees का पुन: परीक्षण किए जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 26 फरवरी, 2026 तक प्रस्तुत किए जाने एवं समिति की आख्या आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए परिषद द्वारा शोध परिषद की दिनांक 06 फरवरी, 2026 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक की शेष संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया:-***

1. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, शोध
2. प्रोफसर पी0डी0 पंत, निदेशक, अकादमिक
3. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी
4. प्रोफेसर आशुतोष कुमार भट्ट, निदेशक, व्यवसायिक अध्ययन
5. श्री सूर्यप्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक

प्रस्ताव संख्या 34.04- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के दो बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा दिए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश-2965/XX(4)-3(26)/2006, गृह अनुभाग-4, देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को राज्य के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी, के संबंध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2965/XX(4)-3(26)/ 2006, गृह अनुभाग-4, देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 निर्गत किया गया है। संबंधित शासनादेश में राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी का उल्लेख होने के कारण संबंधित शासनादेश को विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा सका। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा पत्र संख्या-RTI-20/XXIV-C-

सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

4/2026-19(32)/2025, देहरादून, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के अन्तर्गत श्री यश गहतोड़ी, मोहल्ला-भूर, सितारगंज रोड़, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) को उपलब्ध कराई गई सूचना के बिन्दु संख्या-02 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

"बिन्दु संख्या-02 के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों एवं ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी पर भी लागू होता है।"

उक्त सूचना का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों द्वारा कार्यक्रम शुल्क में छूट प्रदान किए जाने का प्राय: अनुरोध किया जा रहा है। तद्क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2965/ XX(4)-3(26)/ 2006, गृह अनुभाग-4, देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को विश्वविद्यालय में लागू किए जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित समस्त अभिलेखों का विद्या परिषद द्वारा अवलोकन किया गया। तत्पश्चात लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा पत्र संख्या-RTI-20/XXIV-C-4/2026-19(32)/2025, देहरादून, दिनांक 28 जनवरी, 2026 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के दो बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा दिए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश-2965/XX(4)-3(26)/2006, गृह अनुभाग-4, देहरादून, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को विश्वविद्यालय में यथावत लागू किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 34.05- विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित संशोधित नियमावली पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा विद्या परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन हेतु निर्मित नियमावली को विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 में प्रस्तुत किया गया था। निर्मित नियमावली में विद्या परिषद द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए संशोधित नियमावली को परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। विद्या परिषद के निर्देशानुसार 'विदुषी' शोध पत्रिका के प्रकाशन हेतु निर्मित नियमावली में वित्तीय एवं तकनीकी पहलुओं का स्पष्ट अंकन कर लिया गया है। तद्क्रम में संशोधित नियमावली विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/ विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न शोध पत्रिका 'विदुषी' की संशोधित प्रति का अवलोकन किया गया। विदुषी शोध पत्रिका के प्रस्तावित संपादक मण्डल में कुछ अन्य विषय- विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत परिषद द्वारा***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रोफेसर रेनू प्रकाश, संयोजक, महिला अध्ययन केन्द्र को निर्देशित किया गया कि वे विभिन्न विषय-विशेषज्ञों के नाम माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद को प्रस्तुत करेंगीं। शोध पत्रिका 'विदुषी' के संपादक मण्डल में विषय-विशेषज्ञों के नाम सम्मिलित करने एवं हटाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद को अधिकृत करते हुए महिला मुद्दों पर आधारित शोध पत्रिका 'विदुषी' के प्रकाशन पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 34.06- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" के शुल्क निर्धारण हेतु दिनांक 16 फरवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" को विश्वविद्यालय में संचालित किए जाने हेतु विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद द्वारा "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" को संचालित किए जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। विद्या परिषद के निर्णय पर कार्य परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2025 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। विद्या परिषद एवं कार्य परिषद में पारित निर्णयानुसार कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम संचालित किए जाने हेतु ऑनलाइन Guidance/ Counselling Form का लिंक दिनांक 16 फरवरी 2026 से खोल दिया गया है। काउंसलिंग/गाइडेंस के उपरान्त उपयुक्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी।

"असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर" कार्यक्रम के संचालन हेतु शुल्क निर्धारिण पर दिनांक 16 फरवरी, 2026 को निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई। समिति द्वारा "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर" कार्यक्रम विश्वविद्यालय में एक नवीन एवं कौशल आधारित कार्यक्रम होने के कारण इसे शिक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उचित एवं वहनीय शुल्क पर प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तद्क्रम में समिति ने संबंधित कार्यक्रम का शुल्क कुल ₹8,500/- (₹आठ हजार पांच सौ मात्र) प्रस्तावित किया गया है। तद्क्रम में "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)" कार्यक्रम के शुल्क निर्धारिण हेतु सम्पन्न बैठक की संस्तुतियां विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं।

<u>निर्णय:-</u> ***विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम संचालित होने पर विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को इस हेतु बधाई दी गई। विश्वविद्यालय में NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों के संचालन में पूर्व कुलपति, प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी की अहम भूमिका होने के दृष्टिगत परिषद द्वारा प्रोफेसर नेगी की इस हेतु सराहना कर उन्हें बधाई दी गई। तदुपरान्त "असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर (Level -5)"***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कार्यक्रम के शुल्क निर्धारिण हेतु दिनांक 16 फरवरी, 2026 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हेतु वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण परिषद द्वारा संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति को संदर्भित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 34.07- डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया के बैचलर ऑफ एजुकेशन-स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन) की उपाधि निरस्त किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में नियोजित डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया, अस्सिटेंट प्रोफेसर(ए.सी.) की जांच के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय द्वारा पत्रांक-जी0एस0(शिक्षा)/C7-23(1)/2023, दिनांक 02.05.2024 एवं सी0एम0 हेल्प लाइन पोर्टल पर समस्त बी0एड0विशेष शिक्षा/बी0एड0 विशेष शिक्षा प्रशिक्षु द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2024 को दर्ज शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता समस्त बी0एड0 विशेष शिक्षा/ बी0एड0 विशेष शिक्षा प्रशिक्षु द्वारा अपने शिकायती पत्र के माध्यम से शिकायत की गई है कि डॉ0 गौनिया द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2020 की अवधि के दौरान पी-एचडी0 उपाधि प्राप्त करने तथा इस अवधि के दौरान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से बी0एड0(स्पेशल एजुकेशन) पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है। जबकि यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार कोई व्यक्ति जो पी-एचडी0 कर रहा हो, किसी अन्य उपाधि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। शिकायतकर्ताओं द्वारा यूजीसी अधिसूचना भी संलग्न की गई है। डॉ0 गौनिया विश्वविद्यालय के बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) के छात्र के रूप में 2015-18 के छात्रों के लिए आयोजित NBP 2023 कार्यशालाओं और परीक्षाओं में बिना अवकाश लिए पूर्ण वेतन आहरित कर शामिल हो, अपने पद का दुरूपयोग किए जाने का उल्लेख भी शिकायती पत्र में किया गया है।

इस संबंध में परिषद को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित अल्पकालिक नियोजन (छः माह से अनधिक) की व्यवस्थान्तर्गत दिनांक 09.04.2021 को विश्वविद्यालय में आयोजित वॉक-इन-इन्टरव्यू में चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया को विश्वविद्यालय में अस्सिटेंट प्रोफेसर(ए.सी.), समाजशास्त्र के रूप में नियोजित किया गया है, जिसे प्रत्येक छः माह पर एक दिन के सेवा व्यवधान के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनर्नियोजित किया जाता रहा है। डॉ0 गौनिया द्वारा वॉक-इन-इन्टरव्यू के समय प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से वर्ष 2020 में पी-एचडी0 उपाधि अवार्ड होने का उल्लेख किया गया है। आवेदन-पत्र के साथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल से समाजशास्त्र विषय में दिनांक 04.03.2020 को प्राप्त प्रोविजनल उपाधि भी संलग्न की गई है तथा बी0एड0 विशिष्ट शिक्षा की उपाधि का उल्लेख नहीं किया गया है।

डॉ0 गौनिया द्वारा दिनांक 28.10.2025 को कुलसचिव को संबोधित प्रार्थना-पत्र के माध्यम से वर्ष 2017-18 में उनको विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई **"बैचलर ऑफ एजुकेशन-स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)" की उपाधि निरस्त किए जाने** का अनुरोध किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संबंधित उपाधि की मूलप्रति भी संलग्न की गई है, किन्तु अनुरोध पत्र में उपाधि निरस्त किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। तदक्रम में विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय-आठ **"उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना"** के अन्तर्गत परिनियम 36(5) में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 29.11.2025

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

को डॉ0 गौनिया को प्रेषित पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता समस्त बी0एड0विशेष शिक्षा/बी0एड0 विशेष शिक्षा प्रशिक्षु द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु डॉ0 गौनिया द्वारा इस संबंध में कोई प्रतिउत्तर विश्वविद्यालय में अद्यतन प्रस्तुत नहीं किया गया है। डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया के विरूद्ध समस्त बी0एड0विशेष शिक्षा/बी0एड0 विशेष शिक्षा प्रशिक्षु द्वारा माननीय कुलाधिपति जी एवं सी0एम0 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के क्रम में डॉ0 गौनिया को विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रदान की गई "**बैचलर ऑफ एजुकेशन-स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)**" की उपाधि निरस्त किए जाने के संबंध में प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव व संलग्न समस्त अभिलेखों का विद्या परिषद द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार 'कोई व्यक्ति जो पी-एचडी0 कर रहा हो, किसी अन्य उपाधि कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है'; के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 में डॉ0 गोपाल सिंह गौनिया को प्रदान की गई "बैचलर ऑफ एजुकेशन-स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)" की उपाधि को निरस्त किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए उपाधि निरस्तीकरण का आदेश निर्गत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 34.08- मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग तथा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग में विभिन्न नवीन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की मूल भावना के अनुरूप स्थानीय, क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग तथा अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग में निम्नानुसार विभिन्न नवीन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने प्रस्तावित हैं, जो विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं:-

क्रम संख्या	विद्याशाखा का नाम	विभाग का नाम	प्रस्तावित नवीन कार्यक्रम का नाम
1.	मानविकी	संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं	1. पाली भाषा में प्रमाण-पत्र। 2. प्राकृत भाषा में प्रमाण-पत्र।
2.		हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा	1. अपभ्रंश भाषा में प्रमाण-पत्र। 2. जौनसारी भाषा में प्रमाण-पत्र।
3.		अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं	1. चीनी भाषा में प्रमाण-पत्र। 2. जपानी भाषा में प्रमाण-पत्र। 3. स्पेनिश भाषा में प्रमाण-पत्र।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *विश्वविद्यायलय में नवीन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की प्रशंसा करते हुए विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 34.09- विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में स्थापित मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग का नाम परिवर्तित किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत विभाग का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग'** तथा अंग्रेजी विभाग का नाम **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग'** है। इस संबंध में समन्वयक, संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि- व्याकरणिक दृष्टि से संस्कृत विभाग का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग'** एवं अंग्रेजी विभाग का नाम **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग'** होना चाहिए। **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग'** का नाम **'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग'** तथा **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग'** का नाम परिवर्तित कर **'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग'** किए जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद की सहमति हेतु प्रस्तुत है। परिषद की सहमति उपरान्त कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग का नाम विश्वविद्यालय परिनियमावली में भी संशोधित किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रकरण माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया है।

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा 'संस्कृत एवं प्राकृत भाषाएं विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग' तथा 'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग' किए जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित प्राविधानुसार प्रस्ताव कार्य परिषद के माध्यम से माननीय कुलाधिपिति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 34.10- उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या- 354/XXIV- 4/2025-10(10)2022, देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2025 को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या- 354/XXIV-4/2025-10(10)2022, देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2025 अधिसूचित की गई है। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025 के अध्याय-बारह के विनियम 14 का संशोधन 10 में उल्लिखित किया गया है कि - "कक्षा-10 (हाईस्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित तीन वर्षीय

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा-12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता होगी"। इस संबंध में परिषद को अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है। तद्क्रम में उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या- 354/XXIV-4/2025-10(10)2022, देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2025 को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किए जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***विद्या परिषद द्वारा उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या- 354/XXIV- 4/2025-10(10)2022, देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2025 को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि अन्य राज्यों से कक्षा 10 (हाईस्कूल) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित राज्य द्वारा तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा को कक्षा 12 (इण्टरमीडिएट) के समकक्ष मान्य किया गया हो। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में प्रवेश लिए जाने से पूर्व राज्य द्वारा मान्यता संबंधी जारी अधिसूचना/शासनादेश को विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा। साथ ही परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि भविष्य में ऐसी अधिसूचनाओं/ शासनादेशों को यथासमय अंगीकृत करा लिया जाय, ताकि शिक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।***

प्रस्ताव संख्या 34.11- दिनांक 09.09.2025 को मा0 उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 टास्क फोर्स की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या-06 (16) के क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा पत्रांक-336923/XXIV-C-1/2025-01(20)/2025(E-79336), दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से प्रेषित पत्र के साथ दिनांक 09.09.2025 को माननीय उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 टास्क फोर्स की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संलग्न करते हुए क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-06 (16) में उल्लिखित किया गया है कि- समस्त राजकीय विश्वविद्यालय एक माह के अन्दर अकादमिक परिषद एवं कार्य परिषद की बैठक प्रस्तावित कर विश्वविद्यालय के अभिलेखों में जहां-जहां **"इण्डिया"** उल्लिखित है वहां **"भारत"** किए जाने के संबंध में विधिवत रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। तद्क्रम में दिनांक 09.09.2025 को मा0 उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के क्रम में विश्वविद्यालय के अभिलेखों में जहां-जहां **"इण्डिया"** उल्लिखित है वहां **"भारत"** किए जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

निर्णय:- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर विद्या परिषद द्वारा दिनांक 09.09.2025 को मा0 उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 टास्क फोर्स की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या-06(16) के क्रम में विश्वविद्यालय के अभिलेखों में जहां-जहां "इण्डिया" उल्लिखित है वहां "भारत" किए जाने पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

बैठक में संबंधित कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-20 पर भी चर्चा की गई। चर्चा के दौरान किसी प्रतिष्ठित औद्योगिकी प्रतिष्ठान के तकनीकी विशेषज्ञ को आमंत्रित किए जाने पर विषय-विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण के साथ ही विश्वविद्यालय की विभिन्न प्राधिकारी निकाय यथा- कार्य परिषद, विद्या परिषद, योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड, वित्त समिति, परीक्षा समिति, विशेषज्ञ समिति, अध्ययन बोर्ड, शोध समिति, प्रवेश समिति एवं अन्य समितियों में आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञों/ सदस्यों के मानदेय निर्धारण पर भी चर्चा हुई। चर्चा के उपरान्त परिषद द्वारा बाह्य विशेषज्ञों/सदस्यों के मानदेय निर्धारण हेतु निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किए जाने की संस्तुति करते हुए समिति की आख्या आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया :-

1. प्रोफसर पी0डी0 पंत, निदेशक, अकादमिक - अध्यक्ष
2. श्री सूर्यप्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक - सदस्य
3. श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव - सदस्य

प्रस्ताव संख्या 34.12- विश्वविद्यालय में पुन: पंजीकरण की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की षष्टम बैठक दिनांक 28.10.2025 के मद संख्या- 06.04 में पारित निर्णयानुसार पुन: पंजीकरण के प्राविधान को अकादमिक सत्र जनवरी, 2026 से बन्द कर दिया गया है। इस संबंध में परिषद को अवगत कराना है कि पुन: पंजीकरण के संबंध में शिक्षार्थियों से प्राय: अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहें हैं। अतएव शिक्षार्थी हित में अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पुन: पंजीकरण की व्यवस्था लागू किए जाने हेतु प्रकरण विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय-: *प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा शिक्षार्थियों के हित में, अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए, शैक्षणिक सत्र जनवरी, 2026 में प्रवेश की अन्तिम तिथि तक पुन: पंजीकरण की व्यवस्था को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। पुन: पंजीकरण की व्यवस्था को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 21 फरवरी, 2026 से लागू किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रभारी प्रवेश को अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।*

सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीता

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 34.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 34.13.01- विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष की व्यवस्था अपनाए जाने के संबंध में डॉ0 कमल देवलाल, प्राध्यापक तथा निदेशक, विधि विद्याशाखा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 कमल देवलाल, प्राध्यापक तथा निदेशक, विधि विद्याशाखा द्वारा विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष की व्यवस्था अपनाए जाने के संबंध माननीय कुलपति जी को एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परिषद को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली में विभाग स्थापित हैं, किन्तु विभागाध्यक्ष का उल्लेख केवल चयन समिति में है इसके इत्तर विभागाध्यक्ष के संबंध में कोई प्राविधान परिनियमावली में वर्णित नहीं है। इस कारण विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं। विभागाध्यक्ष की व्यवस्था परिनियमावली में प्राविधानित होने के उपरान्त ही विभागों में विभागाध्यक्ष की व्यवस्था की जा सकती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम एवं परिनियमावली में सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भी 02 शिक्षकों को नामित किया गया है। तदक्रम में प्रकरण विद्या परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय-: ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम एवं परिनियमावली में सुधारीकरण की कार्यवाही गतिमान है, अतएव शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक संबंधित प्रकरण को स्थगित रखा जाय।***

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद के सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, विद्या परिषद

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति/अध्यक्ष, विद्या परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)